न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. मंजू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
001/2025(रा.प्रा.प.) (GCMS 2025/1)	17.02.2025	12.05.2026

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. शांतिलाल पिता देवराज जाति भांबी निवासी श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. संतोष पत्नी शांतिलाल जाति भांबी, निवासी श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– श्री भैरूलाल सालवी — राजकीय अभिभाषक
श्री दीपक शर्मा — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बमिसल क्रमांक 826/2021 आवंटन दिनांक 17.12.2021

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षी संख्या 01 व 02 को मौजा निम्बोदा पटवार हल्का निम्बोदा, तहसील निम्बाहेड़ा की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिलानाम आराजी संख्या 302 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म भटबेड़ भूमि के संबंध में किया गया भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। आराजी नम्बर 302 रकबा 0.43 हैक्टेयर के वर्तमान में आराजी नम्बर 563/302 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म भटबेड़ अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है। आवंटित आराजीयात पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं है तथा ना ही आवंटी द्वारा काश्त की जा रही है। विपक्षीगण का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की थी, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक शर्मा ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा की भू आवंटन पत्रावली तलब की गई जो प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/अभिलेखागार/2025/826 दिनांक 04.03.2025 से पत्रावली प्राप्त हुई। प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही स्थगित की जाकर प्रकरण में बहस मूल पत्रावली उभय पक्ष सुनी गई।

सर्वप्रथम विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण को मौजा निम्बोदा तहसील निम्बाहेडा की आराजी संख्या 302 रकबा 0.43 हैक्टेयर किस्म भूमि भटबेड़ के संबंध में भू–आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। विपक्षीगण का उक्त आवंटित आराजीयात पर आदिनांक तक कब्जा काश्त नहीं रहा है फिर भी विपक्षीगण को आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षीगण किसी भी स्थिति में आवंटन के पात्र नहीं है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने कथन किया कि भू–आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू–आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा स्वयं आवंटन का पात्र माना जाकर आवंटन कमेटी में सदस्य के रूप में आवंटन की अनुशंषा की गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में सरकार द्वारा भूमिहीन कृषको को अभियान अन्तर्गत ही भूमि आवंटन के आदेश थे और उस अनुसार भू–आवंटन सलाहकार समिति की पूर्ण बैठक में आवंटन का आदेश पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा कब्जे नहीं होने का गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। वर्तमान में मौजा निम्बोदा की आराजी संख्या 302 रकबा 0.46 हैक्टेयर किस्म

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भटबेड़ जिसके वर्तमान आराजी संख्या 563/302 रकबा 0.43 हैक्टेयर विपक्षीगण के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा विपक्षीगण को कब्जा सुपुर्द किया एवं विपक्षीगण द्वारा मौके पर काबिज होकर काश्त की जा रही है। विपक्षीगण के पक्ष में पूर्णतया विधि–सम्मत् तरीके से आवंटन हुआ है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकुल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुना गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच–पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :–

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1)Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.
(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.
(3) XXX delted XXX]
(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated fromthe same source, perference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]

Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:
Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 के हस्ताक्षर ही अंकित है अप्रार्थी संख्या 02 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं है। इसके साथ ही अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है आवंटन आदेश के बिन्दु संख्या 3 के उप–कॉलम 3 में आवंटिती द्वारा भूमि के अनाधिकृत अधिभोग की समयावधि 03 वर्ष अंकित की गई है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी इत्यादि नहीं है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि की जा सकती है कि आवंटित भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा रहा हो, इसके साथ ही विपक्षीगण के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन में रिपोर्ट पटवारी कॉलम संख्या 13 में विपक्षीगण को आवेदित भूमि पर अतिक्रमी नहीं होना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य विरोधाभासी है इससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रतिवेदित होता है कि उक्त आराजीयात पर आवंटी का आवंटन से पूर्व कब्जा नहीं रहा है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप–2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटी को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 302 रकबा 1.52 हैक्टेयर में से विपक्षीगण को आवंटित 0.43 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवंटित भूमि पर विपक्षीगण के कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह तथ्य ठोस दस्तावेजी साक्ष्य का मोहताज है। केवल मात्र मौखिक कथन किये जाने से यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मुख्य रूप से विपक्षीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने का ही तथ्य उठाया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 826/2021 दिनांक 17.12.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को स्वीकार करते हुए विपक्षीगण का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 826/2021 दिनांक 17.12.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 826/2021 में दिनांक 17.12.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official